न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वित्तीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 212/2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/662

अपीलांटस् :–

1. पुखराज सोलंकी पुत्र श्री रामरतन सोलंकी, उम्र 64, वर्ष
2. रमेश सोलंकी पुत्र श्री रामरतन सोलंकी, उम्र 60 वर्ष
3. शिव प्रकाश सोलंकी पुत्र श्री रामरतन सोलंकी, उम्र 58 वर्ष
4. श्यामलाल सोंलकी पुत्र श्री रामरतन सोलंकी, उम्र 56 वर्ष जातियान घांची, निवासीगण सोलंकी भवन, सोजतिया घांचियों का वास, घोड़ों का चौक, जोधपुर।

रेस्पोडेंटस् :–

1. ललित भाटी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण भाटी, उम्र 37 वर्ष, निवासी बी–113, शास्त्री नगर, जोधपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामान्तरण संख्या 1199, दिनांक 23.11.2005 ग्राम जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 1087/740/7 की 1 बीघा 01 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज की गई</u>

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक चौधरी, राकेश गोदारा, संतोष गोदारा अधिवक्तागण अपीलान्टस
2. प्रत्यर्थीगण संख्या 01 स्वयं उपस्थित

– : : निर्णय : : – **दिनांक :** 23/9/25

अपीलांटस ने जरिये अधिवक्ता एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1199 दिनांक 23.11.2005 ग्राम जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 1087/740/7 की 1 बीघा 01 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांटस की माता श्रीमती भंवरी बाई पत्नी श्री रामरतन सोलंकी, निवासी सोजतिया घांचीयों का बास, घोड़ों का चौक, जोधपुर के खातेदारी की कृषि भूमि खंसरा संख्या 1087/740/7 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि किस्म बारानी चतुर्थ वाके राजस्व ग्राम जोधपुर पटवार हल्का जोधपुर भू.अ.नि क्षेत्र जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। उक्त भूमि राजस्व

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

रिकॉर्ड में अपीलांटस की माता श्रीमती भंवरी बाई पत्नी श्री रामरतन सोलंकी के खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा श्रीमती भंवरी बाई के ही कब्जा, काश्त की आई हुई थी। उक्त भूमि में से श्रीमती भंवरी बाई द्वारा 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी भूमि रजिस्टर्ड बेचाननामे के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 01 को दिनांक 05.05.2005 को बेचान कर दी। उक्त बेचाननामा उप पंजीयक प्रथम जोधपुर के कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने पर दिनांक 05.05.2005 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 162, पृष्ठ संख्या 118, क्रम संख्या 2005005714 पर पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात उक्त बेचाननामे के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने रेस्पोडेंट संख्या 02 के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड में बेचाननामे अनुसार नामान्तरण दर्ज करने की प्रार्थना की, जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 02 के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत कर रेस्पोडेंट संख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 02 के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृति के समय त्रुटिवश बेचाननामे में दर्ज भूमि रकबा 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी के स्थान पर सम्पूर्ण रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि का नामान्तरण रेस्पोडेंठ संख्या 01 के नाम से दर्ज कर लिया गया, जबकि बेचान मात्र रकबा 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी भूमि का ही किया गया था, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम जो नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, उक्त नामान्तरण गलत व त्रुटिपूर्ण है, जिसे रकबा 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी की हद तक ही बहाल रखा जा सकता है। शेष रकबे की हद तक उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है, जिस हेतु यह अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

अपीलाधीन नामान्तरण विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 02 के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृति के समय रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों का विधिपूर्ण ढंग से मनन नहीं किया गया है। यदि विधिपूर्ण ढंग से मनन किया जाता तो बेचाननामा में रकबा 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी ही दर्ज था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरण के जरिये रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम रकबा 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी भूमि ही दर्ज की जानी चाहिऐ थी, किंतु तत्कालीन तहसीलदार महोदय के द्वारा श्रीमती भंवरी बाई के नाम दर्ज भूमि सम्पूर्ण ही रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि का नामान्तरण रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से दर्ज कर दिया गया, इस कारण रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से दर्ज भूमि का नामान्तरण 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी की हद तक ही बहाल रखे जाने योग्य है। शेष भूमि की हद तक नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरण के जरिये खसरा संख्या 1087/740/7 नये खसरा संख्या 1769/1087, रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज की गई है, जबकि अपीलांट की माता श्रीमती भंवरी बाई, जो तत्समय उक्त भूमि की खातेदारी थी के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 को 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी भूमि का ही बेचान किया गया था, शेष भूमि पर अपीलांटस् की माता श्रीमती भंवरी बाई काबिज काश्त थी तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि अपीलांटस् काबिज काश्त है। इस कारण शेष भूमि अपीलांटस के नाम दर्ज किये जाने हेतु 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि का नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है। श्रीमती भंवरी बाई के स्वर्गवास होने के उपरांत अपीलांटस के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 02 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 1087/740/7 वर्तमान खसरा संख्या 1769/1087 की रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 01 को बेचान की गई भूमि 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी भूमि के अतिरिक्त 15 बिस्वा 17 बिस्वांशी भूमि श्रीमती भंवरी बाई के उतराधिकारी होने के आधार पर उनके नाम दर्ज करने की प्रार्थना की, तब राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हल्का पटवारी के द्वारा यह जानकारी दी गई कि अपीलाधीन नामान्तरण के जरिये त्रुटिवश सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेट संख्या 01 क नाम दर्ज कर ली गई, तब अपीलांटस को उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई। जानकारी के दिनांक से उक्त अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह सदभाविक देरी है, जिसे कण्डोन करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलांटस् स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1199, दिनांक 23.11.2005 ग्राम जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 1087/740/7 की 1 बीघा 01 बिस्वा भूमि का नामान्तरण 05 बिस्वा 03 बिस्वांशी भूमि की हद तक नामान्तरण बहाल रखते हुए शेष भूमि की हद तक नामान्तरण निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि उतराधिकार में अपीलांटस को प्राप्त होने के कारण अपीलांट्स के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। अन्य कोई उचित आदेश जो अपीलांटस के पक्ष में हो सादिर फरमावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित होकर एक राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि “ अपीलाधीन नामान्तरण बेचान के आधार पर भरा गया हैं तथा बेचानानामें में वर्णित भूमि से अधिक भूमि का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया है। इस कारण रेस्पोडेन्ट उक्त नामान्तरण को निरस्त करवाने हेतु सहमत है। अतः

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उपरोक्त वर्णित प्रकरण जरिये राजीनामा फैसल फरमावें।" उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने में जो देरी का कारण बतलाए गए है वह सद्भाविक होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

चुंकि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट स्वयं ने उपस्थित होकर यह स्वीकार किया हैं कि उक्त नामान्तरण बेचान के आधार पर भरा गया हैं तथा बेचाननामें में वर्णित भूमि से अधिक भूमि का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया है। इस कारण रेस्पोडेन्ट उक्त नामान्तरण को निरस्त करवाने हेतु सहमत है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम नामान्तरण संख्या 1199 दिनांक 23.11.2005 को निरस्त किया जाना उचित व न्यायोचित समझते हैं।

— : : निर्णय : : —

अपीलान्ट की अपील का निर्णय इस प्रकार हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1199 दिनांक 23.11.2005 निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति भेजकर तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता हैं कि निर्णय अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलेक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 23/9/25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलेक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)